

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 14/2022

1. पालाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

--वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. लीलाधर पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

--प्रतिवादीगण

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता --- वादी
2. श्री रमन गोदारा अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 3

निर्णय

दिनांक :- 27/11/2022

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री रमन गोदारा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

(क) वादी प्रथम को-

चक 7 एचडीपी के प0न0 16/249 कि0न0 7/2/0.164, 8, 9/1/0.060, 14, 15, 16, 17, 23/2/0.126, 24,25 की 2.121 है0 अनकमाण्ड खातेदारी।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 को -

चक 7 एचडीपी के प0न0 17/249 कि0न0 17 ता 20, 23,24, की 1.518 है0 नहरी खातेदारी

(ग) प्रतिवादी सं. 2 -

चक 7 एचडीपी के प0न0 16/250 कि0न0 5 की 0.253 है0 अनकमाण्ड खातेदारी।

27/11/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 21/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

21/11/2022
(रणजीत कुमार)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा